



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 24/2026/D-48

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 281016 दिनांक 05/02/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
---------	--------------	---------------------------	---------------	------------------	--	--------------	-------------------------------	----------------------------------



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

1	Meena W/o Billaram Gurjar	श्री प्रकाश सांसी पुत्र श्री बजरंग सांसी	17	83.33 SQ. YARD	Cooperative	RAM NAGAR VISTAR Sector/Block-	Name Transfer	जविप्रा अधिकृत निजी खातेदारी की आवासीय योजना राम नगर विस्तार के भूखण्ड सं. 17 क्षेत्रफल 116.66 व.ग. की लीजडीड दिनांक 26.07.2011 को श्री प्रकाश सांसी पुत्र श्री बजरंग सांसी को जारी की गई। दिनांक 23.10.2018 को श्री प्रकाश सांसी पुत्र श्री बजरंग सांसी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से उक्त भूखण्ड का बेचान श्री निहाल सिंह पुत्र श्री सरजीत सिंह को किया गया। श्री निहाल सिंह पुत्र श्री सरजीत सिंह द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान दिनांक 29.11.2023 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से श्रीमती मीना पत्नी श्री बिल्लाराम गुर्जर को किया गया है। श्रीमती मीना पत्नी श्री बिल्लाराम गुर्जर द्वारा उक्त भूखण्ड में नाम हस्तानांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत है।
---	---------------------------------	--	----	-------------------	-------------	---	------------------	---



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Meena W/o Billaram Gurjar को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमे प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय मे प्रस्तुत ना करें |